राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

25 AUG 2022

क्रमांक: प.22(13)न्याय/97 जयपुर, दिनांक 25 AUG 2022

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों को जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों द्वारा बिना विधि विभाग की पूर्व सहमति के कार्यमुक्त कर दिया जाता है, जिससे विधि सेवा के अधिकारी आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) हो जाते है और उक्त राजसेवक के वेतन इत्यादि भुगतान हेतु बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) करने, अतिरिक्त कार्य आवंटित करने एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन करने हेतु विधि विभाग ही अधिकृत है।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र दिनांक 23.03.2022 द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

अतः सभी जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य विभागों को परिपत्र जारी कर यह लेख किया जाना उचित होगा कि विधि सेवा के अधिकारियों को बिना विधि विभाग की पूर्व सहमति के कार्यमुक्त नहीं करें एवं यदि अत्यावश्यक हो तो विधि विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जिससे विधि विभाग संबंधित अधिकारियो को नियमानुसार निर्देशित कर सके।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त।
4. समस्त विभाग।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधित विभागों को प्रेषित करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव